

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1311/2025

सुनिता

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में एलडीसी के पद पर ग्राम पंचायत अजाड़ी कलां, पंचायत समिति, झुंझुनू में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं किया गया है, फिर भी अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा कार्यमुक्त कर अपनी उपस्थिति पंचायत समिति, झुंझुनू में दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर आदेश दिनांक 09.01.2025 निजी प्रत्यर्थी अजय महला का स्थानांतरण किया गया है और अपीलार्थी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया है, फिर भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर एपीओ किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी के स्थानांतरण से अपीलार्थी को एपीओ किया गया है, जबकि अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानांतरण नहीं किया गया है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष